



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

**INSURANCE REGULATORY AND  
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA**

(बीमा दलाल) विनियम, 2018  
(*Insurance Brokers*) *Regulations, 2018*  
पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र

**CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION**

पंजीकरण संख्या Registration No.: 595

1. मेसर्स. लिमिटेड्स इंशोरेंस ब्रॉकिंग सर्विसेज प्रा. लि. श्रेणी पुनर्जीकरण

दलाल का पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 14 तथा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन इसके द्वारा नवीकृत किया जाता है।

The Certificate of Registration of M/s. Limitless Insurance Broking Services Pvt. Ltd. Category Re-Insurance Broker

is hereby renewed under Regulation 14 of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)

2. हैदराबाद में 11 दिन मई (माह) दो हजार वीर्य को जारी किया गया।

Issued at Hyderabad on 11<sup>th</sup> day of May Two Thousand Twenty

3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र 28.04.2020 से 27.04.2023 तक विधिमान्य होगा।  
This Certificate of Registration shall be valid from 28.04.2020 to 27.04.2023

4. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों का पालन करेगा।

This Certificate of Registration is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all the provisions of the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) the Rules or regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars, & Directions issued by the Authority from time to time

स्थान Place : हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक Date : 11.05.2020

आदेशानुसार

By Order

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से  
For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India

अनुसूची I - फार्म एल  
(विनियम 14(8) देखें)  
*Schedule I - Form L*  
(See Regulation 14(8))